न्यायालय अतिरिक्त जिला कलैक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी (कन्हैयालाल सोनगरा)

प्रकरण संख्या : 72/2014
जीसीएमएस नम्बर 2014/00103

1. शिवनारायण पुत्र बलराम जाति नाई निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

--- अपीलांट

ब ना म्

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार/नायब तहसीलदार, सूरतगढ़।
2. विद्या देवी बेवा सोहनलाल पुत्र हरभज जाति विश्नोई निवासी लखासर हाल वार्ड नं. 14, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. श्रीमती तीजा देवी पुत्री श्री बलराम
4. सरोज देवी पुत्री स्व0 बलराम
5. इन्द्रा देवी पुत्री बलराम

   जाति नाई निवासीयान खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. सन्दीप कुमार
7. सुभाष चन्द्र
8. सन्तरो देवी
9. सुनीता देवी

   जाति नाई निवासीयान खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. श्रीमती इमायती बेवा पालाराम नाई निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
11. गौरीशंकर
12. राकेश
13. विष्णु

    पिसरान कान्तो शन्ता पुत्री बलराम जाति नाई निवासीयान खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
14. राकेश कुमार पुत्र सोहनलाल वार्ड नं. 14, पीलीबंगा

आदेश दिनांक :

उपस्थित :– (1) श्री राकेश मनचन्दा, एडवोकेट अपीलांट
(2) पैरोकारराज तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़।

निर्णय

दिनांक : 05.08.2024

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं सरकार उपस्थित रेस्पोडेंट नं. 2 के अभिभाषक के निर्देश नहीं होने का निवेदन किया। राज्य पक्ष के पैरोकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विचारण तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार, सूरतगढ़ के तस्दीक नामान्तरण संख्या 241 दिनांक 16.10.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की। जिसमें तहसीलदार द्वारा नामान्तरण चक 2 एस.आर.पी.एम. तहसील सूरतगढ़ के द्वारा जमाबन्दी के खाता संख्या 1 में अंकित पत्थर नं. 168/38 किला नम्बर 23 ता 25 का 0.759 हैक्टयर का, आराजीराज से सोहनलाल पुत्र हरभजन के नाम से दर्ज किया को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया है में कथन किया कि नामान्तरण स्वीकृत करने से पूर्व कब्जा व हकूक की जांच किये बिना नामान्तरण दर्ज कर दिया गया जबकि यह भूमि अपीलांट के पिता बलराम को आवंटित भूमि पत्थर नं. 168/38 किला नम्बर 1 ता 22 के चिपती भूमि है व वरीयता से इसे पाने का अधिकारी है। आवंटन बहक सोहनलाल गलत हुआ है जिसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही जेरकार है। तथ्यों के विरूद्ध कब्जा को देखे बिना व बिना जांच भूमि विवादित होते हुए नामान्तरण दर्ज कर दिया गया है जो कि निरस्त किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर धारा–96 सीपीसी एवं धारा–5 मियाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज कर रेस्पोडेंट को तलब किया गया। रेस्पोडेंट नं. 2 की ओर से अभिभाषक उपस्थित आये जिन्होंने बाद में निर्देश नहीं होने का कथन किया। सोहनलाल के पुत्र द्वारा पक्षकार बनने का प्रार्थना–पत्र दिया गया जो निरस्त हुआ। सरकार की ओर से तहसीलदार उपस्थित आये। रेस्पोडेंट नं. 3 ता 13 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही के आदेश हुए व नामान्तरण असल आने पर अपील में पक्षकारान की बहस सुनी गई।

लगातार 2 पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 11:44:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के कथनों को दोहराया व कथन किया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 2071 चक 2 एसआरपीएम तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या नया 27 पुराना 33 में पत्थर नं. 168/38 किला नम्बर 1 ता 22 = 5.566 है0 अनकमांड भूमि अपीलांट के पिता बलराम के नाम बतौर खातेदार अंकित है। इसमें किला नम्बर 23 ता 25 = 0.759 हैक्टयर रकबाराज इसी मुरब्बा के काश्तकार को वरीयता से प्राप्त होनी चाहिये थे। यह भूमि अंकित काश्तकार बलराम को आवंटित भी हुई किन्तु किश्त जमा ना होने के कारण पट्टा जारी नहीं हुआ जबकि कब्जा भूमि बलराम के जीवनकाल में बलराम का बाद में अपीलांट का चला आ रहा है। बिना अधिकारों की जांच व कब्जा की जांच किये सरसरी तौर पर नामान्तरण दर्ज कर दिया गया जबकि मौका पर अपीलांट का कब्जा है। रेस्पोडेंट के पति सोहनलाल को किया आवंटन विवादित है व राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील लम्बित है। इसी दौरान नामान्तरण से अपीलांट के हित प्रभावित हुए है व अपीलांट के पीठ पीछे आवंटन हुआ है जिसका उन्हें कतई ज्ञान नहीं था इसलिये अपीलाधीन आदेश का उन्हें ज्ञान नहीं था इसीलिये धारा–96 सीपीसी एवं धारा–5 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील को गुण–दोष पर स्वीकार करने की प्रार्थना की व निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश इकतरफा प्राकृतिक न्याय के विपरीत बिना सुनवाई कब्जा की जांच किये बिना सरसरी तौर पर नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। रेस्पोडेंट नं. 2 का पति आवंटन का पात्र नहीं था फिर भी आवंटन कर दिया गया जिसकी अपील जेरकार है। प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश चक 2 एस.आर.पी.एम. नं. 24 खाता संख्या 01 जिसके द्वारा रकबाराज से चक 2 एस.आर.एम. मु. नं. 168/38 किला नं. 23 ता 25 का 0.759 सोहनलाल के नाम नामान्तरण दर्ज किया गया है को निरस्त करने की प्रार्थना की। राज्य सरकार ने भू–धारक के हक सुरक्षित रखते हुए निर्णय की प्रार्थना की।

उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात पूर्व पत्रावली का तर्कों के परिपेक्ष्य में पठन व मनन करने पर पाया कि अपीलांट के पिता के नाम चक 2 एस.आर.पी.एम. तहसील सूरतगढ़ के प. नं. 168/37 किला नं. 1 ता 22 की 5.566 है0 अनकमाण्ड भूमि दर्ज है शेष भूमि नामान्तरण पूर्व 23 ता 25 = 0.759 है0 इसी पत्थर नम्बर में स्थित है। कब्जा काश्त बलराम अंकित काश्तकार की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसों को प्राकृतिक रुप से माना जा सकता है। प्रश्नगत भूमि में अपीलांट हितबद्ध होना साबित है। इसी रुप में लघु–पट्टी आवंटन बहक सोहनलाल के विरूद्ध अपीलांट द्वारा सक्षम अदालत में अपील प्रस्तुत की हुई है। इसलिये नामान्तरण में वह हितबद्ध ससाबित है। इसका शपथपूर्वक प्रतिउत्तर रेस्पोडेंट द्वारा नहीं दिया गया इसलिये प्रार्थना–पत्र प्रार्थी (अपीलांट) स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार धारा–5 मियाद का प्रार्थना–पत्र आदेश प्रार्थी अपीलांट के पीठ पीछे होने व प्रार्थना–पत्र धारा–5 का जवाब शपथ–पत्र के माध्यम से ना आने के कारण स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अपील में गुणावगुण पर मनन करने पर पाया कि अपीलाधीन नामान्तरण सरसरी तौर पर तस्दीक किया गया है। इसमें कब्जा संबंधी जांच नहीं की गई ना ही अपीलांट को सुना गया जबकि भूमि उसके कब्जा काश्त में होने से उसको सुना जाना आवश्यक है। जहां तक रेस्पोडेंट नं. 2 के पति को प्रश्नगत भूमि आवंटन का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अपील सक्षम अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। चुंकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अतः इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील को निरस्त करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचनो के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 241 दिनांक 16.10.2012 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर के कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 5.08.2024को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 11:44:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner